न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर (जिला जोधपुर) राजस्थान

पीठासीन अधिकारी :– श्री नेमा राम्, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–302/2025
जीसीएमएस नं. :– 2025/439

प्रार्थीगण :–
1. ओमप्रकाश पुत्र बालुसिंह
2. राजेन्द्रसिंह पुत्र बालुसिंह
जाति जाट निवासी ग्राम खांगटा तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर राज.।

बनाम

अप्रार्थीगण :–
1. भूमिधारी तहसीलदार पीपाड़ शहर जिला जोधपुर राज.।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थित अधिवक्ता
1. मंसूर अली छीपा प्रार्थी की ओर से
2. तहसीलदार पीपाड़ शहर अप्रार्थी

दर्ज दिनांक :–19.8.2025

निर्णय

दिनांक :– 17/04/2026

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 136 राज. भू. राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया जिसका विवरण इस प्रकार है कि ग्राम खांगटा पटवार क्षेत्र खांगटा तहसील पीपाड शहर की राजस्व सीमा में कृषि भूमि खसरा संख्या 3157/2193 रकबा 0.5946 हैक्टेयर था जो जमांबदी संवत 2075– 2078 में प्रार्थी ओमप्रकाश के नाम से इन्द्राज था तथा सेटलमेंट के पश्चात संवत 2081 में प्रार्थी ओमप्रकाश को नये खसरा संख्या 2452 रकबा 0.5865 हैक्टेयर दिये गये जिसमें प्रार्थी ओमप्रकाश का 0.0081 हैक्टेयर रकबा कम कर दिया गया तथा ग्राम खांगटा पटवार क्षेत्र खांगटा तहसील पीपाड शहर की राजस्व सीमा में कृषि भूमि खसरा संख्या 3158/2193 रकबा 0.5946 हैक्टेयर था जो जमांबदी संवत 2075– 2078 में प्रार्थी राजेन्द्र सिंह के नाम से इन्द्राज था तथा सेटलमेंट के पश्चात संवत 2081 में प्रार्थी राजेन्द्र सिंह को नये खसरा संख्या 2453 रकबा 0.5592 हैक्टेयर दिये गये जिसमें प्रार्थी राजेन्द्र सिंह का 0.0354 हैक्टेयर रकबा कम कर दिया जबकि प्रार्थीगण का मुल खसरा संख्या 2193 रकबा 1.1892 हैक्टेयर था जिसका प्रार्थीगणो ने आपस में बंटवाडा किया जिस पर प्रार्थीगणो के हक व बंट में 0.5946 हैक्टेयर 0.5946 हैक्टेयर भूमि. रखी गई तथा आज भी प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि में काबिज कास्त है तथा मौके पर जो. भूमि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीगण के रकबे में से कम की गई है व गलत है व त्रुटिपूर्ण है। प्रार्थीगण के साथ अन्याय करते हुए गलत तरमीम व रकबा दर्ज करते हुए अप्रार्थी ने सेटलमेंट के समय मौके की जाचं किए बिना प्रार्थीगण के नये खसरा संख्या 2452 व 2453 के पुर्वी दिशा की तरफ खसरा संख्या 2516 रकबा 0.0908 हैक्टेयर गैर मुमकिन सडक दर्ज कर दिया जो पुर्णतया गलत है क्योकि प्रांर्थीगण के खसरो के आगे गैर मुमकिन सडक खसरा संख्या 2193/1 पुर्व में विद्यमान थी जो वर्तमान में खसरा संख्या 2648 गैर मुमकिन सडक के रूप में विद्यमान है यानी प्रार्थीगण के खसरा संख्या 2452 व 2453 के चिपते पुर्वी दिशा में खसरा सख्या 2516 गलत रूप से गैर मुमकिन सडक दर्ज कर दिया गया जबकि प्रार्थीगण के खसरान के अलावा आगे रास्ता नही है न ही खसरा संख्या 2516 आगे किसी रास्ते से मिलता है न ही पीछे किसी रास्ते से मिलता हे तथा खसरा संख्या 2516 रकबा 0.0908 हैक्टेयर पर प्रार्थीगण का कब्जा एंव काश्त है

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड शहर

तथा तकनीकी त्रुटि से खसरा संख्या 2516 को गैर मुमकिन के रूप में राज्य सरकार के खाते में दर्ज कर दिया गया है जिससे प्रार्थीगण अपनी ही खातेदारी भूमि से अप्रार्थी की लापरवाही से वचिंत हो गया है। प्रार्थीगण को जब यह जानकारी हुई की उनके पुर्व के खसरा संख्या 3157/2193 व खसरा संख्या 3158/2193 में जो रकबा इन्द्राज था उसे कम कर दिया व प्रार्थीगण के नये खसरा.. संख्या 2452 व खसरा संख्या 2453 कर दिये गये व प्रार्थीगणो का जो रकबा कम किया उसे खसरा संख्या 2516 के रूप में गैर मुमकिन सडक दर्शाकर प्रार्थीगणो के खसरो के आगे पुर्वी दिशा में तरमीम कर दिया यानि खसरा संख्या 2516 को अलग से प्रार्थीगणो के नाम से इन्द्राज करना था जो भुलवश गैर मुमकिन सडक के रूप में दर्ज कर दिया। यह है कि प्रार्थीगणो ने उक्त अशुद्धि को सही करने के लिए व खसर संख्या 2516 रकबा 0.0908 हैक्टेयर को प्रार्थीगण के नाम से इन्द्राज करने हेतु अप्रार्थी से निवेदन किया लेकिन अप्रार्थी ने सक्षम न्यायालय से आदेश लाने पर ही अपने आपको शुद्धि करने हेतु सक्षम बताया इसलिए प्रार्थीगण के पास न्यायालय के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तत कर ग्राम खांगटा पटवार क्षेत्र खांगटा तहसील पीपाड शहर की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 2516 रकबा 0.0908 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन सडक को खाता संख्या 1354 से हटाकर प्रार्थीगण के नाम से राजस्व रेकर्ड में किस्म सेवज के रूप में दर्ज करने के आदेश फरमाया जाने का निवेदन किया गया।

हमने प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया । अप्रार्थी को समन जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 01 तहसीलदार पीपाड़ शहर द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत जवाब अनुसार राजस्व ग्राम खांगटा के सम्वत 2075–78 में खाता संख्या 901 पर मूल खसरा संख्या 2193 रकबा 1.1892 हैक्टेयर भूमि रेकर्ड में दर्ज थी जिसमें प्रार्थीगण ओमप्रकाश, राजेन्द्रसिंह पुत्रगण बालुसिंह जातिया जाट हिस्सा 1/2–1/2 अंकित था। प्रार्थीगण ने आपसी सहमति से बंटवाड़ा से बराबर–बराबर 0.5946 हैक्टेयर भूमि आई। बंटवाड़े से पूर्व मूल खसरा संख्या 2193 में से पीडब्ल्यूडी सड़क के लिए 02 बीघा भूमि यानि 0.3236 हैक्टैयर भूमि अवाप्त हुई जो कि खेत के पूर्वी दिशा की तरफ स्थित मौके पर डामर सड़क के पास में तरमीम नक्शा सीट में दर्ज रेकर्ड है, जिसमें खसरा संख्या 2193/1 किस्म गै मु सड़क दर्ज है। सर्वे रिसर्वे के पश्चात् बने नक्शो में पुराने ख स 2157/2193 रकबा 0.5946 हैक्टेयर व ख स 2158/2193 रकबा 0.5946 हैक्टेयर के नये खसरा संख्या 2452 रकबा 0.5865 हैक्टेयर व ख स 2453 रकबा 0.5592 हैक्टैयर हो गये यानि उक्त खसरो में कमशः 0.0081 हैक्टेयर व 0.0354 हैक्टेयर भूमि कम कर दी गई। प्रार्थीगण के रोड़ के पास वाले दाये बाये वाले खसरो में रोड़ के नाम पीडब्ल्यूडी गै मु सड़क से कोई वर्तमान नक्शा में दर्ज नही है, जबकि प्रार्थीगणो के खेतो में रोड़ व खेत के बीच एक सर्वे रिसर्वे सम्वत 2081 में ख स 2516 अंकित कर रकबा 0.0908 हैक्टैयर भूमि अंकित कर उक्त रकबा रोड़ के खाता संख्या 1354 में अंकित कर दिया गया जो सही नहीं है। पूर्व में नक्शा सीट में मौके पर डामर सड़क के स्थान पर कटाणी रास्ता थ जो कि चौड़ाई मे करबी 30 फीट चौड़ा था उसके पास ही में प्रार्थी के खेत से रोड़ के नाम 0.3236 हवैटेयर जमीन अवाप्त की गई परन्तु अभी वर्तमान में सर्वे रिसर्वे में में रास्ते का रकबा व

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

मौके के रोड़ को मर्ज कर चौड़ाई बढ़ाई गई जो आज मौके पर उपस्थित रोड़ से कही ज्यादा है जो प्रार्थी के खेतो में पीडब्ल्यूडी के खाता में ख स 2516 पूर्वी दिशा में तरमीम है। प्रार्थीगण के दाये बाये खेतो मे पीडब्ल्यूडी के नाम गै मु सड़क का तरमीम नहीं होना एवं केवल प्रार्थीगण के खेत में ही उक्त ख स 2516 रकबा 0.0908 हैक्टेयर दर्शाया गया है जो कि सही नहीं है। इस त्रुटी को दुरूस्त करने हेतु गै मु सड़क के खाता संख्या 1354 में दर्ज खसरा 2516 रकबा 0.0908 हैक्टैयर में दोनो प्रार्थीगण के कमश नये खसरा संख्या 2452 में 0.0081 हैक्टैयर व नये खसरा संख्या 2453 में 0.0354 हैक्टेयर भूमि जोड़कर रकबा व तरमीम दुरूस्ती की जाना उचित है।

हमने बहस पक्षकारान सुनी जिसमें वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को फिर से दोहराते प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रकबा व तरमीम दुरूस्ती का आदेश प्रार्थी के पक्ष में फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

आदेश

हमने पत्रावली, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, वकील प्रार्थीगण द्वारा बहस में बताये बिन्दुओं एवं तहसीलदार पीपाड़ शहर द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन तथा उस पर मनन किया गया जिसके अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेशित किया जाता है कि ग्राम खांगटा मे गै मु सड़क के खाता संख्या 1354 में दर्ज खसरा 2516 रकबा 0.0908 हैक्टैयर में दोनो प्रार्थीगण के कमश नये खसरा संख्या 2452 में 0.0081 हैक्टैयर व नये खसरा संख्या 2453 में 0.0354 हैक्टेयर भूमि जोड़कर रकबा व तरमीम दुरूस्ती की जाकर मौका रिपोर्ट नजरी नक्शा अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें। तहसीलदार पीपाड़ शहर से प्राप्त मौका रिपोर्ट 302/05.02.026 को आदेश का भाग समझा जावें।

(नेमा राम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 17/04/2026 को सर–ए–इजलास सुनाया गया ।

(नेमा राम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर